सार-समाचार

एमपी के मंत्री वियजवर्गीय पहुंचे छबड़ा

छबड़ा(निसं)। मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरूवार को क्षेत्र के निपानियां स्थित अपने कुल देवता के मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने परिवार सहित पहुंचे। यहां उनके साथ उनके पुत्र आकाश विजय वर्गीय एवं परिवारजन मौजूद रहे। पूर्व पार्षद रितेश शर्मा, कपिल तिवारी, भाजपा नेता प्रशांत विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्री विजयवर्गीय गुरूवार को निपानियां पहुंचे। यहां उन्होंने अपने परिवार सहित कुल देवता के मंदिर पर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत भंडारे का शुभारंभ हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय के छबड़ा पहुंचने पर राजस्थान ही नहीं मध्यप्रदेश से भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक कटारमल मंदिर निपानियां पहुंचे। यहां विजयवर्गीय का फूल मालाओं से स्वागत किया। विजयवर्गीय ने यहां आमजन की समस्याएं भी सुनीं।

अतुल विजय ने जन्मदिन पर अनजान मरीज के लिए किया एसडीपी दान

कोटा, (निसं)। मानवता और सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डीसीएम में कार्यरत अतुल विजय ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाते हुए श्योपुर निवासी एक अनजान मरीज के लिए एसडीपी दान कर जीवन बचाने का कार्य किया। श्योपुर निवासी रामवतार राजपूत निजी अस्पताल में भर्ती थे और उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उनके पुत्र हेमंत अलसुबह से प्लेटलेट्स की व्यवस्था के लिए परेशान होकर इधर-उधर भटक रहे थे। तभी अस्पताल के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ने उन्हें टीम जीवनदाता का हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक एवं टीम जीवनदाता के संयोजक के पास जैसे ही कॉल पहुँचा, उन्होंने तुरंत परिस्थिति को समझते हुए प्रातः दस बजे 10.00 अतुल विजय से संपर्क किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपरा/भूमि/2025-26/787 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक-25.02.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्रीमती सीमा बलसोरी पत्नी श्री राकेश कुमार बाथरा निवासी रावतभाटा द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा के बालाजी नगर (IDSMT) आवासीय योजना, रावतभाटा के आवासीय भूखण्ड संख्या 254 श्रेणी (MIG-B) साईज 9x19.5 क्षेत्रफल 175.5 वर्गमीटर अर्थात् 1888.38 वर्गफीट के स्वामित्व संबंधी एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रतियों को ऑनलाईन अपलोड़ करवाकर इस भूखण्ड़ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन हेतु आवेदन मय प्रस्तावित भवन निर्माण के नक्शों की प्रतियों सहित प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 के प्रावधानों के तहत निर्माण स्वीकृति एवं नक्शानुमोदन बाबत् प्रस्तुत किया हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवेदन से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यवाही को पालिका द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति / फर्म/विभाग / संस्था को उक्त कार्यवाही पर कोई उजर या आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में मय साक्ष्य / सबूत के प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् प्राप्त कोई भी उजरदारी या आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे!

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपरा/भूमि/2025-26/790 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक-25.02.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया पिता श्री मांगीलाल सिसोदिया निवासी रावतभाटा द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा के बालाजी नगर (IDSMT) आवासीय योजना, रावतभाटा के आवासीय भूखण्ड संख्या 178-ए श्रेणी (MIG-A) साईज 7x15 क्षेत्रफल 105 वर्गमीटर अर्थात् 1129.80 वर्गफीट के स्वामित्व संबंधी एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रतियों को ऑनलाईन अपलोड करवाकर इस भूखण्ड़ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन हेतु आवेदन मय प्रस्तावित भवन निर्माण के नक्शों की प्रतियों सहित प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 के प्रावधानों के तहत निर्माण स्वीकृति एवं नक्शानुमोदन बाबत् प्रस्तुत किया हैं।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवेदन से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यवाही को पालिका द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति / फर्म / विभाग / संस्था को उक्त कार्यवाही पर कोई उजर या आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में मय साक्ष्य साक्ष्य, / सबूत के प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् प्राप्त कोई भी उजरदारी या आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा

आम सूचना

मैं मेरे पक्षकार श्री महेन्द्र सिंह कोहली निवासी 62 बल्लभबाडी कोटा से अधिकार प्राप्त कर हर आम व खास को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार का मकान 2-ख-10 विज्ञान नगर कोटा में स्थित एक दुकान 12 इंटु 13 वर्गफीट की सीढियों के पास वाली बिना छत के श्रीमती सुशीला देवी जैन पत्नी श्री लक्ष्मण जैन निवासी रायपुरा रोड कोटा मार्फत सारोला सेल कारपोरेशन 2-ख-10 विज्ञान नगर कोटा की किरायेदारी में दिनांक 23.09.2002 से चली आ रही है। उस वक्त मेरे पक्षकार ने श्रीमती सुशीला देवी से एक लाख रूपये दुकान को रहन, बिल कब्ज कर दिया था। तथा यह तय किया गया था कि जब भी मेरा पक्षकार एक लाख रूपये रहन की राशी अदा कर देगें वह उक्त दुकान को रहन मुक्त कर देगी। श्रीमती सुशीला देवी के मन मे आरंभ से ही बदयान्ती थी इस कारण उसने रहन नामे के स्थान पर इकरार नामा व वसीयत नामा तथा मुख्तार नामा भी धोखे से आलेखित करवा लिया गया था।

मेरे पक्षकार ने श्रीमती सुशीला देवी को एक लाख रूपये रहन राशी के कई मर्तबा टेण्डर कर दिया गया है अंत मे जरिये विधिक सूचना पत्र दिनांक 08.07.2025 से भी सूचित कर दिया तथा फर्जी तरीके से आलेखित करवाये गये इकरार नामा, मुख्तार नामा व वसीयत नामा को मेरे पक्षकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

मेरा पक्षकार उक्त दुकान का एक मात्र मालिक है जिसे विक्रय करने के तमाम हक हकूक प्राप्त है। जिसके तहत मेरा पक्षकार भविष्य में उक्त दुकान को विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है।

अतः हर आम व खास को आगाह किया जाता है कि उक्त दुकान के संबंध में श्रीमती सुशीला देवी या अन्य किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संव्यवहार नही करें, अन्यथा उसकी तमाम जिम्मेदारी ऐसे पक्षकार पर व्यक्तिगत रूप से आयद मानी जायेगी।

दिनांक : 26.02.2026

भवदीय

चन्द्रमोहन कुशवाह, एडवोकेट

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2169 **विज्ञप्ति** दिनांक : 26.2.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी योजना ''भाटिया कोलोनाईजर्स प्रा. लि.''खसरा नं. 336 में स्थित भूखण्ड संख्या सी-74 के 1/3 भाग के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री समीर कुमार जगदीश चन्द्र ठक्कर पुत्र श्री जगदीश चन्द्र ठक्कर निवासी- मकान नं. बी-1 श्रीनाथ दीप सोसायटी, आउट साईट पानी गेट, आयुर्वेदिक रोड़, बडैदरा, गुजरात द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण क्रमांक UIT-KOTA/FY18-19/MUT/690 दिनांक 02.02.2019 को श्री राहुल आर. खण्डेलवाल, श्रीमती मन्जू खण्डेलवाल एवं जगदीश चन्द्र ठक्कर के पक्ष मे जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र के अनुसार जगदीश चन्द्र ठक्कर की मृत्यु दिनांक 11.03.2025 को हो चुकी हैं। सहस्वामी जगदीश चन्द्र ठक्कर की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा पंजीकृत वसीयत एवं शपथ-पत्रों के आधार पर नाम हस्तांतरण चाहा गया हैं।

अतः श्री समीर कुमार जगदीश चन्द्र ठक्कर पुत्र श्री जगदीश चन्द्र ठक्कर के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि केसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योस कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2137 **विज्ञप्ति** दिनांक : 23.2.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम सोगरिया खसरा नं. 353 में स्थित कृषि भूमि योजना प्रताप टाउनशिप ब्लॉक-ए भूखण्ड संख्या ए-61 आवेदक/आवेदिका श्रीमती विजय लक्ष्मी वर्मा पत्नि स्व. श्री राजकिरण निवासी म.नं. ए-61 प्रताप टाउनशिप ब्लॉक-ए ग्राम सोगरिया कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 1101 दिनांक 01.11.2017 को श्री राजकिरण पुत्र श्री राम सहाय एवं विजय लक्ष्मी वर्मा पत्नि श्री राज किरण के पक्ष में जारी किया गया था। सहपट्टाधारी राजकिरण की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 04.12.2023 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान माता श्रीमती पार्वती देवी, पत्नि विजय लक्ष्मी वर्मा, पुत्र पीयुष सीनोट है। वारिसान पार्वती देवी व पीयुष सीनोट द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 14.08.2024 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती विजय लक्ष्मी वर्मा पत्नि स्व. श्री राजकिरण के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2170 **विज्ञप्ति** दिनांक : 26.2.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम सीन्ता योजना ''माईलस्टोन टाउनशिप'' खसरा नं. 241 में स्थित भूखण्ड संख्या डी-16 के 1/2 भाग के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री समीर कुमार जगदीश चन्द्र ठक्कर पुत्र श्री जगदीश चन्द्र ठक्कर निवासी- मकान नं. बी-1 श्रीनाथ दीप सोसायटी, आउट साईट पानी गेट, आयुर्वेदिक रोड़, बडैदरा, गुजरात द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 78 दिनांक 27.05.2016 को श्री राधेश्याम खण्डेलवाल एवं श्री जगदीश चन्द्र ठक्कर के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र के अनुसार जगदीश चन्द्र ठक्कर की मृत्यु दिनांक 11.03.2025 को हो चुकी हैं। सहस्वामी जगदीश चन्द्र ठक्कर की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा पंजीकृत वसीयत एवं शपथ-पत्रों के आधार पर नाम हस्तांतरण चाहा गया हैं।

अतः श्री समीर कुमार जगदीश चन्द्र ठक्कर पुत्र श्री जगदीश चन्द्र ठक्कर के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि केसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री ने भांडाहेड़ा में दी 111 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को भांडाहेडा के खेल मैदान में क्षेत्रवासियों को 111 करोड़ रुपये की लागत वाले 19 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सड़क, पुलिया, उप-स्वास्थ्य केंद्र और जीएसएस जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल और दीगोद प्रधान कृष्णा शर्मा, दीगोद मण्डल अध्यक्ष इन्द्र मोहन खंडेलवाल, सिमलिया मण्डल अध्यक्ष उछमा मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य हर बुनियादी सुविधा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने परवन सिंचाई परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि 2026 तक

भांडाहेडा के खेल मैदान में क्षेत्रवासियों को 111 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी।

क्षेत्र के खेतों में पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। बिरला ने विश्वास दिलाया कि आगामी दो वर्षों में ट्यूबवेल और हैंडपंप की निर्भरता खत्म कर शहर घर जलश योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट वितरण और शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि तीन साल बाद जब वे पुनः जनता के बीच आएंगे, तो क्षेत्र 75 वर्षों के अभावों से मुक्त होगा। उन्होंने जनता के भरोसे को अपनी शक्ति बताते हुए कठिन परिश्रम और सेवा का संकल्प दोहराया। विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 87.08 करोड़ रुपये की लागत से कोटा-कैथून से अडूसा तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही संपर्क सड़कों का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। ग्रामीणों की सुविधा हेतु दीगोद-चन्द्रावला, जालिमपुरा-हरिपुरा, चावण्डहेड़ी और दरबीजी में नवनिर्मित पुलियाओं को जनता को समर्पित किया गया। जिससे वर्षा ऋतु में आवागमन की बाधा दूर होगी। साथ ही, ग्राम भौंरा में 55 लाख की लागत से बने उप-स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण से स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि क्षेत्र के विद्युत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए 5.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दो नए 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) पाचडा और नीमोदा का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन जीएसएस के निर्माण से दर्जनों गांवों के किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परियोजनाओं से तकनीकी छीजत में कमी आएगी और प्रति वर्ष लगभग 13.42 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी, जो राजस्व और पर्यावरण दोनों के लिए हितकारी है।

97 दिन वेंटिलेटर पर रहे नवजात को जीवनदान

कोटा, (निसं)। बच्चों का जन्म पूरे समय में 3 किलोग्राम का हुआ था जन्म के बाद बच्चे को सांस की नली में दूध चले जाने के कारण वेंटिलेटर पर रखना पड़ा जब बच्चे को कोटा हार्ट हॉस्पिटल में अत्यधिक गंभीर हालत में भर्ती कराया गया उस वक्त उसकी उम्र 63 दिन की थी बच्चा दिमागी रूप से बेहोश था पूरे शरीर में तेज बुखार था उसके हाथ पैरों में अकड़न थी उसका वजन 2.8 किलोग्राम था सांस की मशीन पर था उसकी छाती में गड्ढे पढ़ रहे थे जिसके कारण उसे सांस लेने में अत्यधिक परेशानी हो रही थी। डॉ महेंद्र गुप्ता के अनुसार बच्चों को मां योजना के तहत भर्ती किया गया एच.एफ.ओ वेंटिलेटर पर लिया गया नली के माध्यम से मां का दूध दिया गया जिससे उसे पोषण मिला बच्चे की सीटी स्कैन और सोनोग्राफी कराई गई खून की जांच भी की गई लेकिन बार-बार वेंटिलेटर से हटाने के प्रयास में उसके फेफड़े सिकुड़ जा रहे थे।

एक महीने में बच्चे को पांच बार वेंटिलेटर से हटाने का प्रयास किया गया ऐसी स्थिति में नेजल एच.एफ.ओ मशीन पर रखा गया जिसमें सफलता मिली और अस्पताल में कुल 34 दिन तक सांस की मशीन पर रखा गया इस प्रकार जन्म से लेकर 97 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा।

डॉ.नीता जिंदल के अनुसार राजस्थान का पहला मामला है। हाड़ौती क्षेत्र में इस मशीन का प्रयोग पहली बार किया गया जो की एक एक कीर्तिमान है उचित पोषण अनुभवी इलाज और ईमानदार प्रयासों के कारण बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ। लगभग एक महीने पहले उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और इस बीते एक महीने में बच्चे के एक्सरे और अन्य जांचे कराई गई अब बच्चे की स्थिति सामान्य है व उसका वजन नियमित रूप से बढ़ रहा है और एक्सरे में भी उसके लंग्स सामान्य नजर आ रहे हैं।

पश्चिम मध्य रेल

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय

पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

No. C/481/101/e-auction

दिनांक : 25.02.2026

केटलॉग सं.-park 2W-kota, **अनुबंध का प्रकार**-पार्किंग (दो पहिया वाहन) कोटा स्टेशन PF/1 की तरफ, **ई-नीलामी की तिथि और समय**- दि. 11.03.2026 (बुधवार) को समय 12.00 बजे से 12.30 बजे तक। **केटलॉग की विस्तृत जानकारी वेबसाइट**-www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

(हस्ता.)

Sr.DCM/KOTA

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

नवल धर्म सभा का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 को

- **देशभर से आएंगे प्रतिनिधि, राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर होगी चर्चा**
- **अखिल भारतीय सतगुरु मात्रंग ऋषि नवल धर्मसभा एवं नवल धर्मसभा यूथ विंग का संयुक्त आयोजन**

कोटा,(निसं)। अखिल भारतीय सतगुरु मात्रंग ऋषि नवल धर्मसभा एवं नवल धर्मसभा यूथ विंग के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 28 फरवरी को कोटा के बोरखेड़ा पैट्रोल पंप के पास स्थित श्याम रिसोर्ट में श्पांचवां राष्ट्रीय अधिवेशनश आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पोस्टर का गुरूवार को विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित रहेंगे। जबकि अध्यक्षता वर्तमान श्री नवलगुरु गादीपति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य श्री चरणदास महाराज (जोधपुर) द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी भी अपने विचार साझा करेंगे। अधिवेशन में वाल्मीकि समाज के 6 प्रमुख पंथों के पूज्य संत और नवल साहिब के वंशज उपस्थित होंगे। नवल धर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सफेला ने बताया कि प्रातः 10 बजे से शुरू होने वाले इस अधिवेशन को दो महत्वपूर्ण सत्रों में बांटा गया है। प्रथम सत्र में समाज की प्रमुख मांगों पर आधारित होगा। जिसमें महर्षि नवल स्वामी के विचारों को राजस्थान के शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने, कोटा में समाज के लिए छात्रावास हेतु भूमि आवंटन तथा जोधपुर में स्वामीजी के भव्य पैनोरमा निर्माण जैसे विषयों पर रणनीति तैयार की जाएगी।

महिला मंडल ने धूमधाम से नाया फागोत्सव

कोटा,(निसं)। अग्रवाल समाज स्टेशन की महिला मंडल ने अग्रवाल धर्मशाला में हर्ष उल्लास के साथ फाग उत्सव मनाया गया। महिला अध्यक्ष शशि गोयल ने बताया सभी अग्रवाल समाज की बहनों के द्वारा फूलों और अबीर गुलाल से लगा कर होली खेली। इस अवसर पर चंद्रकला मित्तल द्वारा इंद्रा गुप्ता को राधा स्वरुप और शारदा अग्रवाल को कृष्ण स्वरूप में तैयार कर सभी महिलाओं ने श्रीकृष्ण-राधा संग होली के रसीले गीतों पर खूब नृत्य किया। महामंत्री रिचा गोयल ने बताया कि उत्सव में अंजली गुप्ता, अनीता गर्ग, अनिता बंसल, अमिता, गायत्री गर्ग, मंजू बंसल, रमा भारती, कृष्णा आदि समाज की महिलों एक दूसरे के अबीर गुलाल लगा होली की शुभकामनाएं दी।

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय, रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ (राजस्थान)

संविदा शिक्षकों के पैनल के लिए वॉक इन स्किल टेस्ट कम डेमो टीचिंग

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय, रावतभाटा के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए बालवाटिका, प्राइमरी, सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी के विभिन्न पदों के लिए संविदा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं विस्तृत जानकारी विद्यालयों के वेबसाइट और सूचना पट्ट पर उपलब्ध है।

https://aecsrbt2.ac.in/, https://www.aecsrbt3.ac.in/, https://aecs4rbt.ac.in/

CBC 48157/12/0006/2526

द्वारा- प्राचार्य समन्वय

प्रिंस वर्मा का हिंदी भजन टी-सीरीज भक्ति सागर पर रिलीज

कोटा, (निसं)। कोटा के प्रसिद्ध गायक और कलाकार प्रिंस वर्मा का नया हिंदी भजन टी-सीरीज पर गुरुवार को लॉन्च हो गया है। यह भजन भगवान खाटू श्याम पर आधारित 'श्याम कभी अपने दर से दूर हमें ना करना' है। यह उनका पहला हिंदी भजन है, यह बड़े लेवल टी-सीरीज पर रिलीज हुआ है। करीब 7 मिनट के इस भजन को उन्होंने खुद गाया और बोल लिखे हैं। यानि गायक, लिरिसिस्ट और लीड रोल में प्रिंस वर्मा स्वयं है। जबकि म्यूजिक डायरेक्टर जाने-माने सिंगर बप्पी लहरी है। यह टी-सीरीज भक्ति सागर के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसके साथ ही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसका टीजर व प्रमोशन वीडियो 24 फरवरी 2026 को जारी हुआ है। यह फुल वीडियो सॉन्ग गुरुवार को आया है। यह रिलीज भक्ति जगत में काफी चर्चा का विषय बन रहा है, खासकर टी-सीरीज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रिंस वर्मा की एंट्री के साथ है। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर प्रिंस एवं उनकी टीम को बधाई दी। यह भजन 'श्याम कभी अपने दर से दूर हमें ना करना' एक श्याम बाबा के भक्त की कहानी पर आधारित है। वह एक ऑफिस में काम करता है और वहां से लाखों कठिनाइयों, अवरोध के बाद भी समय निकालकर बाबा के दर पर दर्शन के लिए जाता है।

'बाल श्रम से जुड़ी शिकायत पर बिना देरी किए हो कार्यवाही'

बूंदी(निसं)। जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल श्रम से जुड़ी किसी भी शिकायत पर बिना देरी किए नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बाल श्रम की रोकथाम और श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। सप्ताह में एक बार हो औचक निरीक्षणः बंधुआ मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलक्टर ने ईंट-भट्टों, रेस्टोरेंट और कारखानों में निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी तालमेल से हर सप्ताह विभिन्न कार्यस्थलों का औचक निरीक्षण करें। इसके साथ ही बाल श्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी एसओपी का विभागों और संस्थानों में सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जावें। जिला कलक्टर ने टास्क फोर्स को निर्देश दिए कि शादी समारोहों, होटल, ढाबों, कैटरिंग और बैंड-बाजों आदि में नियोजित बाल श्रमिकों को तुरंत चिह्नित किया जाए और संयुक्त रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएं। श्रमिकों के कल्याण पर जोर देते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी श्रम स्थलों पर काम कर रहे मजदूरों के श्रम कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जाएं। उन्होंने जी राम जी साइटों पर काम कर रहे श्रमिकों के लिए शिविर लगाने को कहा, ताकि इन श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

कोटा सुपर थर्मल मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव

- **कर्मचारियों का प्रदर्शन मुख्य अभियंता ने कार्यालय से बाहर आकर लिया ज्ञापन, निगम स्तर पर वार्ता कर शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन**

कोटा,(निसं)। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में कोटा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार आक्रोश रैली निकाली। रैली मुख्य द्वार से शुरू होकर मुख्य अभियंता कार्यालय तक पहुंची, जहां कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

संघर्ष समिति के मीडिया कॉ-ऑर्डिनेटर रवि गौतम ने बताया कि विशेष स्थानांतरण योजना-2018 के अंतर्गत पदस्थापन एवं पदोन्नति में हुई विसंगतियों के विरोध एवं विगत 5 साल से पदौन्नति नहीं होने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गौतम ने आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी कर कुछेक चहेते कार्मिकों को दोहरा लाभ दिया गया, जिससे कोटा थर्मल के मूल कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित हुई और पदोन्नति प्रक्रिया बाधित हुई है। मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को आमादा आक्रोशित प्रदर्शनकारियो की सीआईएसएफ जवान से बहस भी हो गई। इसके बाद मुख्य अभियंता शिखा अग्रवाल ने कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए स्वयं कार्यालय से बाहर आकर कार्यालय परिसर के बाहर ही संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से ज्ञापन लिया। इस घटनाक्रम ने कर्मचारियों की एकजुटता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया।

इस अवसर पर संघर्ष समिति के तीनों यूनियनों के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। राम सिंह शेखावत ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कर्मचारी नेता वीरेंद्र कश्यप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन को शीघ्र ठोस कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा संघर्ष और तेज किया जाएगा।

प्रकृति के संरक्षण के बारे में बताया

कोटा,(निसं)। प्रकृति के संरक्षण का संदेश व संवाद लोक साहित्य में समाहित हैं। देश की हर भाषा ,हर संस्कृति में पर्यावरण से जुड़े संस्कारों, त्यौहारों और परम्पराओं का जिक्र भी है, फ़िक्र भी। यह बात तीसरे चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव 2026 के एक सत्र प्रकृति से संवाद-लोक साहित्य में पर्यावरणीय नैतिकता में कोटा के वरिष्ठ साहित्यकार, प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व निदेशक किशन रतनानी ने अपने शोध पत्र में कही। उन्होंने कहा कि लोक गीतों, लोक कथाओं और लोकोक्तियों में पर्यावरण को सिर्फ संसाधन नहीं माना गया है बल्कि उसे सह-अस्तित्व के रूप में रखा गया है। उन्होंने नर्मदा नदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजराती कविता का सिन्धी अनुवाद और साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित कोटा के लेखक अतुल कनक के राजस्थानी उपन्यास जूण जातरा में नदी की पीड़ा का जिक्र किया।

11 मार्च को आरटीयू का पन्द्रहवां दीक्षांत समारोह

कोटा, (निसं)। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अपना पन्द्रहवां दीक्षांत समारोह 11 मार्च 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे की अध्यक्षता में आयोजित करने जा रहा हैं। आरटीयू के सह जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को उपाधियाँ एवं इस उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जायेंगे। पन्द्रहवें दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन के लिए कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी के निर्देशन में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोटा राज्य का इतिहासकालजयी पुस्तक पर संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

कोटा, (निसं)। सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी, कोटा में गुरुवार को प्रिव्यू एवं संवाद शीर्षक से एक गरिमामय साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य विषय सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ.मथुरा लाल शर्मा द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तक कोटा राज्य का इतिहास रहा। प्रो. (डॉ.) मथुरा लाल शर्मा की प्रोपोत्रियाँ डॉ. मनीषा शर्मा एवं डॉ.वागीशा शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पुस्तक का परिचय कराना नहीं, बल्कि कोटा की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत पर सार्थक विमर्श करना एवं नई पीढ़ी में इतिहास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेज़र सेन्टर कोटा के निदेशक एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉ.सुरेश कुमार पाण्डेय एवं डॉ. विदुषी शर्मा ने बताया कि यह आयोजन चिकित्सा सेवा के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं बौद्धिक चेतना के संवर्धन की दिशा में सुवि आई हॉस्पिटल की एक विशिष्ट पहल के रूप में आयोजित किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम में शहर के प्रख्यात साहित्यकारों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों एवं प्रबुद्ध नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिसमें प्रो.अरविन्द सक्सेना, इतिहासकार फिरोज़ अहमद, समाजसेवी श्री शंकर आसकंदानी, अध्यक्ष कोटा व्यापार महासंघ अशोक माहेश्वरी, प्रो. सुषमा आहुजा, प्रो. मनीषा शर्मा, समाजसेवी जी.डी. पटेल, डॉ.प्रहलाद दुबे, डॉ.नवनीत बागला, प्रो. अशोक गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, विकास पण्डया डिप्टी डायरेक्टर ट्यूरिज्म, राजेन्द्र सक्सेना आर्य समाज, श्री आर. एस. पालीवाल, माधव शंकर याजनिक, डॉ.नीलप्रभा नाहर, श्रद्धेय प्रभुजी (इस्कॉन टेम्पल), संतोष शर्मा एवं नेत्र विशेषज्ञ डॉ. एस.के.गुप्ता, रेटिना विशेषज्ञा डॉ.निपुण बागरेचा सहित इस अवसर पर डॉ.मनीषा शर्मा, डॉ.वागीशा शर्मा (अमेरिका), डॉ.प्रमोद गुप्ता, डॉ.प्रीशा गुप्ता, डॉ.सुरेश पाण्डेय एवं डॉ.विदुषी शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

राजस्थान राजपत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary Published by Authority

फाल्गुन 04, सोमवार, शाके 1947- फरवरी 23, 2026

Phalguna 04, Monday, Saka 1947- February 23, 2026

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

संख्याः22/भू.अ./ज.स./2023/202-206:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ एंव महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना (एन.जी.बी. लिंक पैकेज।।।) के अन्तर्गत गलवा पंप हाऊस एंव गलवा बांध से बीसलपुर बांध (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तक फीडर निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. टोंक प्रथम को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नैनवा/अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली होगे।

विवरण

रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) में आने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् विवरण-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.)	भैरूपुरा	गंभीरा	नैनवा	बुन्दी	उपखण्ड अधिकारी नैनवाली)
2		पांडोला	सुवानिया			
3		धानुगांव	सुवानिया			
4		सुंथली	सुवानिया			
5		बालागढ़	बालुन्दा	नगरफोर्ट	टोंक	अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली)
6		बालुन्दा	बालुन्दा			
7		सतवाडा	बालुन्दा			
8		गुराई	गुराई			
9		खेडा बालाजी	गुराई			
10		रायपुरा	गुराई			
11		संग्रामपुरा	गुराई			
12		गुलाबपुरा	ख्वासपुरा	दूनी		
13		राजेन्द्रपुरा	ख्वासपुरा			
14		रामपुरा	ख्वासपुरा			
15		चकआंवा	ख्वासपुरा			
16		कनवाडा	कनवाडा			
17		संग्रामगंज	टोकरावास			
18		टोंकरावास बुन्दी	टोकरावास			
19		टोकरावास उनियारा	टोकरावास			
20		ठिकरियाकलां	चन्दवाड			
21		बांस लक्ष्मणा	पनवाड़	देवली		

फार्म-2

देखे नियम-5

पार्ट - B

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	महाप्रबंधक आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तहसील नैनवा जिला बुन्दी एवं तहसील दूनी, देवली, नगरफोर्ट जिला टोंक योजनान्तर्गत कुल क्षेत्रफल 516.227 हैक्ट. भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्येश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अनतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और ध्या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना के लिए होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिती के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारण प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आषय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जायेगी।	हा
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम

महेश कुमार राठी ,
उप सचिव एंव अधी. अभि. (लैण्ड बैंक)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राजस्थान जयपुर।

राज.संवाद/सी/25/21446